



# JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED

CIN: U40109RJ2000SGC016486

(A Government of Rajasthan Undertaking)

प्रभास्मि सवि सूर्ययोः

Regd. Office: Vidyut Bhawan, Janpath, Jyoti Nagar, Jaipur 302005

Tel/Fax: +91-141-2740264 / Email: caoia@jvvn.org / Website: http://energy.rajasthan.gov.in/ivvn

No. JPD/CAO(IA)/AO/Rules/F. 54/ D. 5960

Jaipur, dated: - 28/01/2020

## Order

**Sub: - Extending provisions of reservation in promotion on posts having promotion quota of less than 25%.**

The Coordination Committee of Rajasthan State Power Sector Companies in its 23<sup>rd</sup> meeting held on 23.12.2019, has decided to adopt the Circular no. F.7(4)Karmik/Ka-2/73 dated 9.12.2019 (Annexure- "A") issued by Department of Personnel, GoR for applying reservation in promotion even on those posts for which the promotion quota is less than 25% i.e. the direct recruitment quota is more than 75%.

This amended provision shall be deemed to have come into effect from 9<sup>th</sup> December, 2019, with the clear stipulation that cases already decided as per previous circular dated 29.10.1990, shall not be reopened.

Encl:- As above.

By Order;

(Dr. R.P. Gupta)

Chief Accounts Officer (IA)

Copy submitted/forwarded to the following for information and circulation in various offices under their jurisdiction and control: -

1. The Chief Engineer/Zonal Chief Engineer ( ), JPD, \_\_\_\_\_
2. The Chief Controller of Accounts/Chief Personnel Officer, JPD, Jaipur
3. The Dy. Chief Engineer ( ), JPD, \_\_\_\_\_
4. The Chief Accounts Officer (FM-W&M/ R&B) JPD, Jaipur.
5. The Secretary (Admn.)/Company Secretary, JPD, Jaipur.
6. The Addl. Superintendent of Police (Vig.), JPD, Jaipur.
7. The Sr. Accounts Officer ( )/ Dy. Director of Personnel ( ), JPD, \_\_\_\_\_
8. The Superintending Engineer ( ), JPD, \_\_\_\_\_
9. The Superintending Engineer (IT), JPD, Jaipur. He is requested to upload this order indicating JPD/Rules No. on the Jaipur Discom's website.
10. The Accounts Officer/Asstt. Accounts Officer ( ), JPD, \_\_\_\_\_
11. P.A to the Accountant General (E&R Sector Audit), O/o Principal AG Rajasthan, Jaipur.
12. P.A to the Chairman & Managing Director, JVVNL, Jaipur.
13. P.A to the Director (Finance/Technical), JPD, Jaipur.

(Yeshwant Jonwal)

Asst. Accounts Officer (Rules)

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक-प. 7(4)कार्मिक/क-2/73

जयपुर, दिनांक : 9.12.2019

1. समस्त अति० मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर) सहित।

**परिपत्र**

विषय-पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण के संबंध में।

राज्य के अधीन आने वाली समस्त सेवाओं यथा राज्य, अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय तथा चतुर्थ श्रेणी सेवाओं के कनिष्ठ तथा वरिष्ठ पदों में पदोन्नति से नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है। पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिये जाने के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 29.10.90 के द्वारा समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को यह निर्देश प्रदान किये गये हैं कि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण उन पदों तथा पदों के उन प्रवर्गों पर लागू नहीं होगा जिनमें सीधी भर्ती का अंश 75 प्रतिशत से अधिक है।


भारत के संविधान का 85वां संशोधन लागू होने के पश्चात पदोन्नति में आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है। राज्य में भी अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 द्वारा सभी सेवा नियमों में संशोधन करते हुए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ऐसी स्थिति में किसी भी संवर्ग में किसी भी संख्या में पदोन्नति पद होने पर उनमें आरक्षण दिया जाना आवश्यक है।

तदनुसार कार्मिक विभाग के उक्त परिपत्र दिनांक 29.10.90 को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए किसी भी संवर्ग में किसी भी संख्या में पदोन्नति पद होने पर उनमें आरक्षण, कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 के प्रावधानानुसार दिया जावेगा।

49/2019

उपरोक्त निर्णय इन आदेशों की जारी होने की तारीख से प्रवृत्त होगा। परिपत्र दिनांक 29.10.90 के अन्तर्गत जिन विभागों द्वारा पदोन्नतियां प्रदान की जा चुकी है, ऐसे प्रकरण पुनः नहीं खोले जायेंगे।

अतः समस्त विभागाध्यक्ष एवं नियुक्ति प्राधिकारियों को व्यादिष्ट किया जाता है कि उक्त दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करे।

  
(रोली सिंह)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, लोकायुक्त, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।

  
उप शासन सचिव

49/2019